

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड, सीकर-332001

ई-मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- न.वि.न्या/नियमन/2025/00109

दिनांक:- 10.01.2025

कार्यालय आदेश

न्यास द्वारा निजी खातेदारी में अनुमोदित आवासीय योजना “**पार्वती नगर आवासीय योजना**” राजस्व ग्राम नानी तहसील सीकर ग्रामीण के खसरा नं. 2206/113 रकबा 0.6455 हैक्टेयर व खसरा नं. 2208/2201 रकबा 1.2600 हैक्टेयर कुल रकबा 19055.00 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्धानुसार) में राजस्थान टाउनशिप पालिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास कार्यो के एवज में रहन रखे गये 12.5 प्रतिशत भू-खण्ड संख्या 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 व 78 (कुल 12 भूखण्ड) को अपेक्षित विकास कार्य पूर्ण करने, चार्टर्ड इंजिनियर की तकनीकी रिपोर्ट उपरान्त न्यास स्तरीय कमेटी की अभिशंषा तथा सीवरेज एवं ड्रेनेज की राशि जमा कराये जाने पर एतद्वारा उपरोक्त रहन रखे गये भू-खण्डों को रहनमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्त के अधधीन प्रदान की जाती हैं।

शर्त:-

1. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the alltees).
2. बोरिंग/ ट्यूबवेल/ पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
3. योजना में विद्युतिकरण का कार्य State Electricaty Agency or National Building code के प्रावधानानुसार ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

(जगदीश प्रसाद गौड RAS)

सचिव

नगर विकास न्यास, सीकर

क्रमांक:- न.वि.न्या/नियमन/2025

दिनांक:-10.01.2025

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित विकासकर्ता।
2. उप नगर नियोजक/कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय हाजा।

(जगदीश प्रसाद गौड RAS)

सचिव

नगर विकास न्यास, सीकर

Signature valid

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Designation : Secretary
Date: 2025.01.10 13:05:32 IST
Reason: Approved

